NOTE FOR PAD

As per jamabandi for the year 2021-2022, the Panchayat Samiti Bhattu Kalan is the owner of the land measuring 62 Kanal 03 Marla, where Dhakka Basti (Partap Nagar) is located. The residents of Dhakka Basti (Partap Nagar) are residing on this land since the last 40-50 years. All basic facilities like Electricity, Water, Public Toilet, SC Choupal, Mahila Choupal, Anganwadi Centre, School, Panchayat Ghar and Atal Seva Kendra are available in the Dhakka Basti. Residents of Dhakka Basti (Partap Nagar) also have their Voter Card, Adhar Card, Family ID, Ration Card etc.

Gram Panchayat, Bhattu Mandi passed a resolution in March 2018 to give land to Dhakka Basti (Partap Nagar) free of cost. Panchayat Samiti Bhattu Kalan passed resolution no. 19 dated 24.04.2018 and for sending to the Government for approval through Deputy Commissioner Fatehabad. Gram Panchayat Bhattu Mandi also passed a resolution dated 12.01.2023 regarding giving ownership rights to Dhakka Basti (Partap Nagar) and sent it to the Chairperson, Panchayat Samiti Bhattu Kalan for further necessary action.

Panchayat Samiti Bhattu Kalan passed a resolution on 27.02.2023 for giving ownership rights to the residents of Dhakka Basti (Partap Nagar). It is also pertinent to mention here that no case has been filed by any beneficiary for the ownership of this land and no case is pending in the Hon'ble Court for the ownership.

The policy dated 19.04.2023 issued by the General Administration Department is not applicable to the lands owned by Panchayat Samiti and Zila Parishad as per provision under clause 4(3) of the said policy. Further, there is no provision in the Haryana Panchayati Raj Act and Rules to regularize the unauthorized possession over the Panchayat Samiti Land.

नोट फार पैड

वर्ष 2021–2022 की जमाबंदी के अनुसार, पंचायत समिति भट्टू कलां 62 कनाल 03 मरला भूमि की मालिक है, जहां धक्का बस्ती (प्रताप नगर) स्थित है। धक्का बस्ती (प्रताप नगर) के निवासी पिछले 40–50 वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। धक्का बस्ती में बिजली, पानी, सार्वजनिक शौचालय, एससी चौपाल, महिला चौपाल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, पंचायत घर और अटल सेवा केंद्र जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। धक्का बस्ती (प्रताप नगर) के निवासियों के पास अपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि भी हैं।

ग्राम पंचायत भट्टू मण्डी ने धक्का बस्ती (प्रताप नगर) को निःशुल्क भूमि देने के संबंध में मार्च 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया था। पंचायत समिति भट्टू कलां ने प्रस्ताव नं0 19 दिनांक 24.04.2018 को माननीय उपायुक्त, फतेहाबाद के माध्यम से अनुमोदन हेतू सरकार को भेजने हेतू प्रस्ताव पास किया। ग्राम पंचायत भट्टू मण्डी ने भी धक्का बस्ती (प्रताप नगर) को मालिकाना हक देने के संबंध में दिनांक 12.01.2023 को एक प्रस्ताव पारित किया और इसे आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए अध्यक्ष, पंचायत समिति भट्टू कलां को भेजा।

पंचायत समिति भट्टू कलां ने धक्का बस्ती (प्रताप नगर) के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए दिनांक 27.02.2023 को एक प्रस्ताव पारित किया। यहां यह भी बताना प्रासंगिक होगा कि इस भूमि के स्वामित्व के लिए किसी भी लाभार्थी द्वारा कोई दावा दायर नहीं किया गया है और स्वामित्व के लिए माननीय न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई पॉलिसी दिनांक 19.04.2023 में किए गए प्रावधान के खण्ड 4(3) अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद की भूमि पर लागू नहीं होते। इसके अतिरिक्त हरियाणा पंचायती राज अधिनियम और नियमों में पंचायत समिति की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जे को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।